पत्रांक 15/सी 2–265/2013 – 1441

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

खालिद मिर्जा,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 21/7/2015

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील (सि0) संख्या 516/2013 से उद्भूत अवमाननावाद संख्या 262/2013 बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील (सि0) संख्या 516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों के विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमानुकूल ढंग से नियुक्त सहायक/भंडारपाल/पुस्तकालय सहायक/दिनचर्या लिपिक/पत्राचार लिपिक के वेतनमान के संशोधन संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1139 दिनांक 18.06.2014, 1192 दिनांक 23.06.2014 तथा 1163 दिनांक 20.06.2014 निर्गत है। उक्त पत्रों के निर्गत होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कर्मियों को होने वाले आर्थिक लाभों की गणना कर विभाग को दिनांक 27.07.2015 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दिनांक 28.07.2015 को 11 बजे पूर्वाहन् में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपरोक्त भेजे गए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए।

अंकनीय है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित है। अतः इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन,

21.7.15

(खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा

Hindi letter 2015